

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-604/2013/जयपुर

सहायक आयुक्त  
प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-तृतीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शिव सहाय एण्ड संस इंडिया लि0,  
398, खवास जी का रास्ता, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,  
राजकीय उप अभिभाषक।

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री विवेक सिंघल,  
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01.08.2016

निर्णय

01.08.2016

1. यह अपील सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जावेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जावेगा) के अपील संख्या 242/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/डी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है जिसमें सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 14.11.2011 में प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित कर रूपये 39,77,611/- धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज रूपये 2,78,435/- के बिन्दु पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गई परन्तु धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 79,55,222/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत करते हुए शास्ति राशि रूपये 79,55,222/- निरस्त करने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 24.08.2011 को सर्वेक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना एवं दस्तावेजों की जांच पर सशक्त अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 में राशि रूपये 39,77,611/- के राशि के आईटीसी मूल इनवॉयस उपलब्ध नहीं होने पर भी क्लेम किया गया है। अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों अनुसार

लगातार.....2



मूल बिल के बिना आईटीसी अनुज्ञेय नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी के द्वारा करापवंचन की मंशा से आईटीसी का क्लेम किया जाना मानकर धारा 18 में वर्णित प्रावधानों के विरुद्ध आई.टी.सी. का क्लेम करने के कारण पारित आदेश में रूपये 39,77,611/- के आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा मूल बिल के अभाव में करापवंचन की मंशा से गलत रूप से आई.टी.सी. का क्लेम किया जाना मानकर धारा 61(2)(बी) में आई.टी.सी. की दुगुनी शास्ति रूपये 79,55,222/- आरोपित की गयी। प्रत्यर्थी द्वारा आउटपुट टैक्स को राजकोष में जमा नहीं करवाने के कारण ब्याज रूपये 2,78,435/- आरोपित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील को अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2012 द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया। जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना शास्ति राशि को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 79,55,222/- को बहाल करने का निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के शास्ति के बिन्दु पर आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिक, प्रकरण के तथ्यों के अनुरूप एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है। प्रत्यर्थी कंपनी पंजीकृत व्यवहारी है तथा उसके द्वारा मुख्यतः बुलियन का कारोबार किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स एम.एम.टी.सी. व अन्य व्यवहारियों से खरीद की गयी है। मैसर्स एम.एम.टी.सी. लि. से एक अनुबंध के तहत प्रत्यर्थी द्वारा बुलियन की खरीद 1 प्रतिशत वैट का भुगतान करके मैसर्स एम.एम.टी.सी. से की गयी तथा खरीद को 1 प्रतिशत से आउटपुट टैक्स का भुगतान करके बेचान कर दिया गया। खरीद प्राप्ति एवं उसकी बिक्री प्रत्यर्थी की लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा तदनुसार बिक्री विवरण प्रपत्र भरकर समय पर पेश किये गये हैं तथा कर राजकोष में जमा करवाया गया है।



6. विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि बाजार में प्रचलित प्रथा के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स एम.एम.टी.सी. लि. से माल की खरीद की गयी तथा विक्रेता फर्म द्वारा माल की डिलीवरी जरिये चालान माह मार्च, 2011 में दी गयी। माल की प्राप्ति के बाद माल का इंद्राज खरीद खाते में किया जाकर माल का बेचान मार्च, 2011 में किया गया तथा शुद्ध देय वैट का भुगतान किया गया।

7. सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण में लिया गया क्षेत्राधिकार अनुचित है क्योंकि प्रकरण करापवंचन से संबंधित नहीं है। केवल दस्तावेजों की व्याख्या के आधार पर तथा बिना कोई कर की अपवचंना के सशक्त अधिकारी द्वारा जो मांग राशि आरोपित की गयी है, वह अविधिक है। समस्त संव्यवहार खरीद-बिक्री के तथ्य लेखा पुस्तकों एवं तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र में घोषित किये गये हैं।

8. प्रकरण में किसी भी दशा में कर का अपवंचन नहीं हुआ है और व्यवहारी द्वारा अंतर कर को भी समय पर जमा करवा दिया गया है। मैसर्स एम.एम.टी.सी. लि. द्वारा मार्च माह में प्रत्यर्थी को की गयी बिक्री जिसके वैट इनवॉइस एमएमटीसी को माह मार्च, 2011 में ही जारी करने चाहिए थे क्योंकि माह मार्च, 2011 में ही बिक्री संपूर्ण हो चुकी थी। प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स एम.एम.टी.सी. लि. को अग्रिम भुगतान कर दिया गया था एवं माल की डिलीवरी भी माह मार्च, 2011 में ही ली गयी थी लेकिन मैसर्स एम.एम.टी.सी. लि. द्वारा विवादित बिक्री के वैट इनवॉयस अप्रैल, 2011 में जारी किये गये जबकि तय शर्तों के अनुसार बिक्री एवं उस पर लगने वाला वैट का क्लेम प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया, उक्त संव्यवहार पूर्ण रूप से लेखा पुस्तकों एवं तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्रों में दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा बिक्री विवरणियों को संशोधित करके माह मार्च, 2011 का टैक्स भी जमा करवा दिया गया था, अतः कर चोरी की प्रत्यर्थी की कोई मंशा नहीं थी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि को समाप्त करने का निर्णय सर्वथा उचित एवं विधिक तौर पर सही होने के कारण राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है।

9. अपने तर्कों के समर्थन में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158, सीटीओ बनाम कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1320 / 2013 / सिरौही सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट लि० निर्णय दिनांक 26.06.2014 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ केरला 7 वीएसटी 621 माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते



हुए कथन किया कि संविदा की शर्तों के अनुसार मूल्य निर्धारित होने पर एवं माल की डिलीवरी लिये जाने के बाद बिक्री उसी वर्ष में संपूरित मानी जाएगी एवं साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड के प्रकरण में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यदि गलत दावा जानबूझकर के नहीं किया गया है अथवा जहां पर कोई दुराश्य का भाव नहीं है तो अधिनियम की धारा 61 में शास्ति आरोपणीय नहीं है।

10. हमने दोनों पक्षों की बहस का मनन किया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश में पुष्टि की गई कर राशि व ब्याज राशि जमा करवा दी गई है परन्तु शास्ति की राशि समाप्त कर दिये जाने को कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया है। उक्त अपील में विवाद का बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मूल इन्वायस के बिना आगत कर का दावा किया गया है। जिसको सशक्त अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय नहीं किया गया था परन्तु मूल वेट इन्वायस प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 61(2) के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर दिया। इस संबंध में धारा 61(2) का उल्लेख किया जाना उपर्युक्त होगा तदनुरूप :-

**Sec. 61 Penalty for avoidance or evasion of tax :- (1) Where any dealer has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein or has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts registers or documents documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal to two times of the amount of tax avoidable or evaded.**

**(2) Not withstanding anything contained in sub-section (1), Where any dealer has availed input tax credit wrongly, the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such dealer**

(a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit; and

(b) in other cases, a penalty equal to double the amount of such wrong credit.



11. अपील के इस प्रकरण में विवाद का बिन्दु प्रत्यर्थी द्वारा मूल इनवॉइस के बिना आईटीसी कलेम किया गया है जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय नहीं किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी ने भी बिना वेट इन्चायस के आगत कर को अनुमत करना अनुचित माना है तदनुरूप उन्होंने रिवर्स किये गये टैक्स एवं कर के विलम्ब पर आरोपित ब्याज को उचित ठहराया है, परन्तु धारा 61(2)(बी) की शास्ति को अपास्त किा जाना अनुचित होना कथित किया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रत्यर्थी द्वारा एमएमटीसी को अग्रिम भुगतान कर दिया गया था एवं माल की डिलीवरी भी माह मार्च, 2011 में ही ली गयी थी लेकिन एमएमटीसी द्वारा विवादित बिक्री के वेट इनवॉइस अप्रैल, 2011 में जारी किये गये है जिसमें प्रत्यर्थी की करापवंचन की मंशा नहीं रही है। इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ केरला 7 वीएसटी 621 माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :-

The petitioner's case is that though goods namely bullion was delivered to the exporters against receipt of substantial amount, the ultimate sale price is fixed later and only after fixing the price, invoice is raised, which happened in the subsequent year. We are unable to accept this contention because by delivery of goods against substantial payment received the Bank has in fact affected "Sale" as defined under Sec; 2(XXI) of the KGST Act. In fact, the purchasers are exporters and on taking delivery of the goods from the petitioners, the exporters were free to manufacture ornaments from the bullion purchased and could export/sell the same. Therefore, delivery of goods is pursuant to contract of sale and all what is left is only finalization of price and raising of final invoice. **Since the sale takes place on delivery of goods under terms of contract, the transaction is rightly assessed in the year in which delivery is given.**


माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जिस वर्ष में माल की डिलीवरी दी गयी है वह संव्यवहार कर निर्धारण हेतु उसी वर्ष का माना जायेगा। चूंकि प्रत्यर्थी संव्यवहार बहीयात में दर्ज है लेकिन इन्चायस अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने के कारण आगत कर रिवर्स किया गया है परन्तु प्रत्यर्थी के प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा विचाराधीन आलौच्य अवधि में अपनी लेखा पुस्तकों में उक्त खरीद राशि को दर्ज किया गया है अतः माननीय न्यायालय के उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त विधिसम्मत रूप से किया गया है।



अतएव उक्त निर्णय एवं प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर जबकि संव्यवहार तकनिकी रूप से इन्वायस नहीं होने अथवा खरीद इन्वायस अगले वर्ष अप्रैल में प्राप्त होने के करवंचना का दुराश्य प्रमाणित नहीं होता है अतः प्रत्यर्थी पर अधिनियम की धारा 61(2)(बी) की शास्ति आकर्षित नहीं होती है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने भी इस प्रकार के प्रकरण में शास्ति आरोपण को अनुचित माना है।

13. परिणामस्वरूप, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
01.08.2016  
( मदन लाल )  
सदस्य



( खेमराज )  
अध्यक्ष